



शेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

निर्माण खण्ड मेरठ-03

ऑफिस कॉम्प्लैक्स, सैक्टर-9, शास्त्री नगर, मेरठ



Bureau of Indian Standards



SQMS

पत्रांक ७ |
सेवा में

2981/2022

दिनांक: 02/01/23

The National Green Tribunal
Principal Bench. New Delhi

विषय- मि0 अपील न0-55/2022 मूल प्रार्थना पत्र सं0-342/2022 संजय सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की ओर से प्रतिउत्तर के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय, जनपद मेरठ के पत्रांक 2981/ओ0एस0डी0-कैम्प/2022 दिनांक 12.12.2022 द्वारा मि0 अपील न0-55/2022 मूल प्रार्थना पत्र सं0-342/2022 संजय सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.11.2022 की प्रति प्रेषित करते हुए अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इस सम्बन्ध में विपक्षी सं0-5, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद मेरठ से सम्बन्धित बिन्दु सं0-9 पर अनुपालन/प्रतिउत्तर निम्न प्रकार है:-

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मेरठ द्वारा योजना सं0-3, शास्त्रीनगर मेरठ विकसित की गयी है। हापुड रोड़ से लगा हुआ एल-ब्लॉक सेक्टर विकसित है। उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के स्वीकृत ले-आउट प्लान के अनुसार एल-ब्लॉक के दक्षिण में राष्ट्रीय राज मार्ग, मेरठ-बुलन्दशहर स्थित है। जिसकी ले-आउट के अनुसार चौड़ाई 76.00 मी0 है। जिसके अन्तर्गत योजना के दक्षिण में परिषद द्वारा निर्मित 12.00 मी0 चौड़ी सर्विस रोड़ है जिसके पश्चात 20.00 मी0 चौड़ी राष्ट्रीय राज मार्ग रोड़ साईड लैण्ड भूमि है। जिसमें नगर निगम मेरठ द्वारा नगर के सौन्दरीकरण हेतु 11.00 मी0 चौड़ाई में पौधारोपण किया गया है तथा निगम, मेरठ द्वारा लगभग 150 वर्ग मी0 डलाव घर का निर्माण किया गया है। रोड़ साईड लैण्ड के पश्चात राष्ट्रीय राजमार्ग की बिटुमिन रोड़ 6.00 मी0 चौड़ी डिवाईडर तक है।

वर्तमान में परिषद योजना की समस्त बाह्य सेवाये यथा:-सड़के, सीवर, पार्क, नालियों, खुले स्थान आदि नगर निगम, मेरठ को रख-रखाव हेतु वर्ष 1983 से हस्तान्तरित है। सेवाओं के हस्तान्तरण उपरान्त उक्त का स्वामित्व नगर निगम, मेरठ में निहित हो जाता है।

आख्या सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक:-ले-आउट प्लान की प्रति।

भवदीय

(R.)

(राज कुमार)

अधिशायी अभियन्ता

पृ0सं0:

प्रतिलिपि:-

- 1- जिलाधिकारी जनपद मेरठ को आपके कार्यालय के पत्र सं0-2981/दिनांक 12.12.2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रेषित।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, मेरठ वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मेरठ को वृत्त कार्यालय के पत्र सं0-3627/दिनांक 14.12.2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

/उपरोक्तानुसार/

तद्-दिनांक.....

अधिशायी अभियन्ता

कार्यालय धाप

पिछले कुछ समय में परिषद के क्षतिपय अधिकारियों द्वारा परिषद की विभिन्न योजनाओं में सड़कों, पार्कों आदि के हस्तान्तरण के उपरान्त परिषद योजनाओं पर परिषद के अधिकारियों के बारे में कुछ संशय व्यक्त किये गये हैं। इस स्थिति का विस्तृत विधिक परीक्षण कराया गया है जिसमें उपरान्त स्थिति निम्न प्रकार है:-

- (1) परिषद अधिनियम की धारा- 41 के अन्तर्गत परिषद योजनाओं की केवल सड़के (जिसमें जल सम्पत्ति नाली, सिंचनेज आदि शामिल है) तथा टेन्टीलेटान और मनोरंजन हेतु छोड़ी गयी खुली भूमि ही स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित की जाती है।
- (2) हस्तान्तरण के उपरान्त उक्त सड़के तथा खुली भूमि सम्बन्धित स्थानीय निकाय में निहित हो जायेगी अर्थात् इन पर से परिषद का स्वामित्व समाप्त हो जायेगा।
- (3) उपरोक्त के फलस्वरूप योजना की शेष भूमि सम्पत्ति पर परिषद का स्वामित्व अक्षुण्ण रह जाता है। ऐसी दशा में नगर धनपारिक/नगर पालिका में निहित भूमि को छोड़कर शेष पर निर्माण करने का अधिकार परिषद को प्राप्त है।
- (4) परिषद के अधिनियम की धारा- 41 के अन्तर्गत स्थानीय निकायों में निहित हो चुकी सड़कों व पार्कों को छोड़कर शेष भूखण्डों पर से अतिक्रमण हटाने का अधिकार परिषद को उस समय तक प्राप्त रहता है जब तक कि योजना पूरी तरह निष्पादित नहीं हो जाए। हस्तान्तरित सड़कों व पार्कों आदि पर से अतिक्रमण हटाने हेतु परिषद स्थानीय निकाय से अनुरोध कर सकती है। और उक्त अनुरोधन न करने पर धारा 41(5) के अन्तर्गत शासन को रिफरेंस कर सकती है।
- (5) योजना की उस भूमि को छोड़कर जिनका स्वामित्व स्थानीय निकायों में परिषद अधिनियम की धारा-41 के अन्तर्गत निहित हो चुका है शेष भूमि पर भवनों के निर्माण अथवा पुनर्निर्माण सम्बन्धी मानचित्र स्वीकृत करने का अधिकार परिषद को प्राप्त है।
- (6) हस्तान्तरण के पूर्व परिषद द्वारा पारित मानचित्र व किये गये कार्य हस्तान्तरण के उपरान्त भी प्रभाव्य माने जायेंगे क्योंकि शिथिलधिकारिका द्वारा निर्मित अधिनियमों के अन्तर्गत प्रवृत्त अधिकारों के अन्तर्गत किये गये कार्य केवल स्वामित्व अथवा मनेजमेन्ट के परिवर्तन से अवैध व निष्प्रभावी नहीं हो जाते हैं।

ह0/

(रयाम पूरी)
आवास आयुक्त

• • 2/-

(2)

क्रमांक 191/

दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को पुरनार्थ एवं आयुक्त के कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1: मुख्य अभियन्ता/समस्त अधीक्षण अभियन्ता/समस्त अधिप्राप्ती अभियन्ता/कार्य अधीक्षक, वि0नि0ई0- 10, मेरठ।
- 2: उप आवास आयुक्त/समस्त सहायक आवास आयुक्त।
- 3: मुख्य याचार्थिक नियोजक/समस्त याचार्थिक नियोजक/समस्त शिथिल कार्याधीक्षक।
- 4: परिषद मुख्यालय के अन्य सभी अधिकारीगण।

ह0/

INDEX:-

- (1) G.T. रोड मैरक से ट्रायड से डिस्टेंस वर्क 6.00m मीटर :- 
- (2) L-आवक कि आगें आई रोड आईड आगि 9.00m मीटर :- 
- (3) L-आवक ट्रायड रोड आईड लेव्ह आगि निस पर नगर निगम मैरक द्वारा पोछा रोपरो किमा जागें 11.00m मीटर :- 
- (4) L-आवक कि स्तविस रोड 12.00m मीटर :- 
- (5) नगर निगम मैरक द्वारा निर्मित टोलावदार :- 

5: *Shalwa*
D/m. J.E

[Signature]
A/E

Dr. *[Signature]*
E.E

